

राजस्थान आवासन मण्डल : जयपुर

क्रमांक:-प1(1)कार्मिक/संविदा/हैल्पर/2020/1853

दिनांक:-15/10/2020

विज्ञप्ति

राजस्थान आवासन मण्डल के निम्न कार्यालयों में रिक्त कुशल हैल्पर/कुशल बागवान/कुशल डीजल मैकेनिक के पदों पर पूर्णतया: अनुबन्ध (Contract) पर कार्मिकों की नियुक्ति हेतु श्रम विभाग से पंजीकृत समितियों से दिनांक 25.10.2020 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। हैल्पर्स को पारिश्रमिक राशि का भुगतान निम्नानुसार देय होगा :-

क्र. सं.	पारिश्रमिक राशि	राजकीय अवकाश	ई.पी.एफ. 13%	ई.एस.आई. 3.25%	सेवा शुल्क 5% (अधिकतम)	योग	जी.एस.टी. 18%	महायोग
1	6474/-	249 रुपये प्रति दिवस	842/-	243/-	373/-	8928/-	1607/-	10535/-

(1) समितियों द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले हैल्पर/कुशल बागवान/कुशल डीजल मैकेनिक :-

- (I) राजस्थान का नागरिक होना चाहिए।
- (II) मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से न्यूनतम आठवी उत्तीर्ण होना चाहिए।
- (III) दिनांक 1.10.2020 को अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए।

(2) कुशल हैल्पर्स से लिये जाने वाले कार्यों का विवरण :-

- (I) संबंधित कार्यालय की साफ-सफाई।
- (II) कार्यालय में चाय-पानी की व्यवस्था।
- (III) कार्यालय की पत्रावलियों का लाने ले जाने का कार्य।
- (IV) प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य।

(3) कुशल बागवान से लिये जाने वाले कार्यों का विवरण :-

- (I) मण्डल (मु) परिसर के उद्यान की सम्पूर्ण देखरेख।
- (II) प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य।

(4) कुशल डीजल मैकेनिक से लिये जाने वाले कार्यों का विवरण :-

- (I) मण्डल मुख्यालय में स्थित जनरेटर्स के संचालन एवं रख रखाव संबंधित कार्य।
- (II) प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य।

रिक्तियों का विवरण :-

मण्डल मुख्यालय, ज्योति नगर, जयपुर	वृत्त-1, जयपुर एवं अधीनस्थ कार्यालयों हेतु	वृत्त-1A, जयपुर एवं अधीनस्थ कार्यालयों हेतु	वृत्त-1B, जयपुर एवं अधीनस्थ कार्यालयों हेतु	वृत्त उदयपुर एवं अधीनस्थ कार्यालयों हेतु	वृत्त जोधपुर एवं अधीनस्थ कार्यालयों हेतु	वृत्त बीकानेर एवं अधीनस्थ कार्यालयों हेतु	वृत्त अलवर एवं अधीनस्थ कार्यालयों हेतु
कुशल हैल्पर-20 कुशल बागवान-02 कुशल डीजल मैकेनिक-01	कुशल हैल्पर-05	कुशल हैल्पर-04	कुशल हैल्पर-05	कुशल हैल्पर-04	कुशल हैल्पर-04	कुशल हैल्पर-04	कुशल हैल्पर-04

(5) सहकारी समितियों से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों में से समितियों का चयन आवासन आयुक्त द्वारा किया जावेगा, जो समितियों को मान्य होगा।

सचिव